

संख्या: 752/69-1-२०१६-१४(८५) /१५

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लेखनका: दिनांक: ३/ मार्च, 2016

विषय:- नगर विकास विभाग/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत विकास हेतु आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों में शिलालेख/पटिका लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-399/गौ-५-2016-265सा/2015, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश द्वारा निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

1. नगर विकास विभाग से संबंधित शासकीय धनराशि से कराये गये विकास कार्यों से संबंधित शिलालेख/पटिकाओं में मा० मुख्यमंत्री जी, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग तथा मा० क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाय।
2. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कराये गये विकास कार्यों से संबंधित पूर्व में लगाये गये शिलालेख/पटिकाओं में तत्काल उपरोक्तानुसार संशोधन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।
3. संबंधित जिले के जिलाधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी शासन को आश्वस्त करेंगे कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि संबंधित निकायों के अध्यक्षों/परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा दस दिनों में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो संबंधित परियोजना अधिकारी, डूडा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु सुरक्षित प्रस्ताव शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-752/69-1-२०१६ तददिनांक।

प्रतिलिपि: उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा उ०प्र० को शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित की जा रही है।

M. Singh
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।